



भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार
कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

Indian Council of Medical Research
Department of Health Research, Ministry of Health
and Family Welfare, Government of India

सं.16/62/2018-प्रश्ना./ई-90523

दिनांक: /12/2025

कार्यालय ज्ञापन

यह निर्णय लिया गया है कि कला और वाणिज्य संवर्ग की शैक्षिक पृष्ठभूमि रखने वाले अभ्यर्थियों को प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट-1/II/III (गैर-चिकित्सीय) के पदों पर नियुक्ति नहीं दी जाएगी।

आठटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा अनुशंसित जन-शक्ति का साक्षात्कार संबंधित कार्यक्रम अधिकारी द्वारा लिया जाएगा। यदि आवश्यक हूआ, तो इस उद्देश्य के लिए एक चयन समिति का गठन किया जाए।

कार्यक्रम अधिकारी/चयन समिति यह सुनिश्चित करे कि प्रोजेक्ट रिसर्च साइट्स-1/II/III (गैर-चिकित्सीय) के पदों के लिए चयनित कोई भी अभ्यर्थी कला या वाणिज्य संवर्ग की पृष्ठभूमि से न हो; और वह आईसीएमआर के दिनांक 01.08.2023 तथा 18.10.2024 के दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित पदों के लिए निर्धारित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करता हो।

प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट-1/II/III (चिकित्सीय) के पदों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति करते समय भी उपर्युक्त अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन किया जाए।

सभी प्रभाग-प्रमुखों को निदेश दिया जाता है कि वे अपने-अपने प्रभागों में कार्यरत कर्मचारियों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करें। यदि किसी कर्मचारी को कला या वाणिज्य संवर्ग की पृष्ठभूमि के साथ प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट-1/II/III (चिकित्सीय/गैर-चिकित्सीय) के पदों पर कार्यरत पाया जाता है, तो ऐसे मामलों में सेवा समाप्ति सहित उचित कार्रवाई की जाएगी।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

जयबीर सिंह

परिषद मुख्यालय के सभी प्रभाग-प्रमुख

परिषद के सभी संस्थानों/केंद्रों के निदेशक/निदेशक-प्रभारी

प्रतिलिपि :-

1. महानिदेशक/अपर महानिदेशक/वरि. उपमहानिदेशक (प्रशा.)/वरि. वित्त सलाहकार, परिषद मुख्यालय, नई दिल्ली के निजी सचिव।
 2. उपमहानिदेशक (प्रशा.), सहायक महानिदेशक (दोनों)/प्रशासन अधिकारी (प्रशा.) परिषद मुख्यालय, नई दिल्ली।
 3. डॉ. मंजीत सिंह चाल्गा, वैज्ञा-ई, परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।